



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03022026-269798
CG-MH-E-03022026-269798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74।
No. 74।

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना
मुंबई, 12 जनवरी, 2026

फा. सं. विवि.एलआईसी.सं.एस 7703/16.13.300/2025-26.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है :

- दक्षिण विहार ग्रामीण बैंक
- उत्तर विहार ग्रामीण बैंक
- जे एंड के ग्रामीण बैंक
- एलाकी देहाती बैंक
- बंगलीया ग्रामीण विकास बैंक
- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक
- उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आर. लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./649/2025-26]

RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 12th January, 2026

F. No. DoR.LIC.No.S7703/16.13.300/2025-26.— In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

1. Dakshin Bihar Gramin Bank
2. Uttar Bihar Gramin Bank
3. J & K Grameen Bank
4. Ellaquai Dehati Bank
5. Bangiya Gramin Vikash Bank
6. Paschim Banga Gramin Bank
7. Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./649/2025-26]